सं० : 6/एस–06(प्रो०)–03/2009 1779 वि०

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

संकल्प

दिनांक : 21.05.14

विषय : राज्यकर्मियों के सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ACP)/संशोधित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (MACP) योजना के अंतर्गत सम्पुष्टि की प्रक्रिया को समाप्त करने के संबंध में।

वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 5207/वि०, दिनांक 14.08.2002 एवं वित्त विभाग, झारखण्ड के संकल्प संख्या 2981/वि०, दिनांक 01.09.2009 एवं 1045/वि० दिनांक 24.05.2011 के द्वारा राज्यकर्मियों को ACP/MACP स्वीकृत करने हेतु प्रावधान निरूपित है। उक्त संकल्प में प्रावधानित है कि स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा पर वित्तीय उन्नयन औपबंधिक रूप से स्वीकृत करने के लिये प्रशासी विभाग/संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी अधिकृत होंगे। औपबंधिक रूप से किये गये वित्तीय उन्नयन की सम्पुष्टि राज्य स्तरीय कर्मियों की स्थिति में विभागीय सचिव द्वारा स्वयं तथा मुफ्फसिल कार्यालयों के कर्मचारियों की स्थिति में स्वयं प्रमण्डलीय आयुक्त द्वारा एक वर्ष के भीतर करा ली जायेगी।

2. व्यवहारिक रूप से पाया गया है कि अधिकांश मामलों में ACP/MACP की सम्पुष्टि की प्रक्रिया कई वर्षों तक पूर्ण नहीं हो पाती है। ACP/MACP की सम्पुष्टि के लिये नियुक्ति की सम्पुष्टि, नियमित सेवा, सामान्य प्रोन्नति के मानक तथा अनुमान्य वेतनमान व ग्रेड–पे को जाँच के दायरे में रखा जाता है, परन्तु वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप परिपत्रों की भावना के अनुरूप सत्यापन निर्धारित समय सीमा में नहीं किया जा रहा है। इससे निम्न कठिनाईयाँ एवं विसंगतियाँ प्रकाश में आई है :–

(i) परिपत्रों के शर्त्तों का उल्लंघन।

(ii) संबंधित DDOs/TOs द्वारा असत्यापित वित्तीय उन्नयन पर वेतन भुगतान जारी रखना।

(iii) Excess Payment का मामला मृत्यु/सेवानिवृत्ति के बाद महालेखाकार द्वारा Pension Fixation के क्रम में पाया जाना।

(iv) विभिन्न न्यायालयों में Delayed सेवानिवृत्ति/मृत्यु लाभ के भुगतान के लिए वाद दायर होना तथा अनावश्यक विवाद का चलना एवं संख्या बढ़ना।

(v) न्यायादेशों के क्रम में अतिरिक्त भुगतान की वसूली प्रायः नहीं हो पाना।

(vi) विलम्बित सेवानिवृत्ति भुगतान पर अतिरिक्त सूद इत्यादि का भुगतान एवं राज्य को अतिरिक्त क्षति पहुँचाना।

(vii) वाद दायर होने के बाद सम्पुष्टि प्रक्रिया प्रारम्भ करना।

(84)

(viii) प्रशासी विभागों द्वारा दोषी DDOs एवं नियंत्री पदाधिकारी पर विलम्ब एवं लापरवाही के लिए प्रभावी कार्रवाई नहीं करना।

3. ACP/MACP की वर्त्तमान सम्पुष्टि प्रक्रिया में विलम्ब के कारण राज्य कर्मियों को होने वाली कठिनाईयों की ओर कर्मचारी संघ के द्वारा राज्य सरकार का ध्यान लगातार आकृष्ट कराया जा रहा है। अराजपत्रित समाहरणालय संवर्ग के हड़ताल की मांग बिन्दु में इसे शामिल किया गया था। सम्पुष्टि प्रक्रिया में बिलम्ब के कारण मुख्यतः समूह 'घ' के कर्मी/आरक्षी/परिचारिका आदि ज्यादा परेशान होते हैं। कतिपय निकटवर्ती राज्यों एवं बिहार में इसे पूर्व से ही समाप्त किया गया है।

4. ACP/MACP में स्क्रीनिंग समिति की वित्तीय उन्नयन की अनुशंसा के बाद वेतन के निर्धारण का सत्यापन करने का स्पष्ट प्रावधान नहीं होने के कारण यह अनियमितता होती है। गलत भुगतान की वसूली कंडिका–2 के क्रम में समस्या का कारण बनती है।

5. सम्यक् विचारोपरांत उक्त मामले में वित्त विभाग के संकल्प संख्या 5207/वि० दिनांक 14.08.2002 एवं वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2981/वि० दिनांक 01.09.2009 में राज्य सरकार ने निम्न संशोधन करने का निर्णय लिया है :–

(i) स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के आलोक में प्रशासी विभाग/संवर्ग नियंत्री पदाधिकारी द्वारा सभी तथ्यों की जाँच करते हुए वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति अन्तिम रूप से की जायेगी। पुनः इसकी सम्पुष्टि की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

(ii) **स्क्रीनिंग समिति में वित्त विभाग एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग** के प्रतिनिधि अथवा उनके द्वारा नामित पदाधिकारी सदस्य होंगे। विभागीय सचिव की अध्यक्षता में गठित स्क्रीनिंग समिति के लिए उप सचिव या उच्च स्तर के पदाधिकारी तथा निदेशालय स्तर पर गठित स्क्रीनिंग समिति के लिए अवर सचिव या उससे उच्च स्तर के पदाधिकारी सदस्य रहेंगे।

(iii) उपायुक्त/प्रमण्डलीय आयुक्त की अध्यक्षता की समिति में जिला लेखा पदाधिकारी वित्त विभाग के प्रतिनिधि होंगे।

(iv) **अन्य क्षेत्रीय कार्यालयों** में ACP/MACP की बैठक में भाग लेने के लिए **विभागाध्यक्ष** एक सुयोग्य पदाधिकारी मुख्यालय से जो विषय वस्तु का जानकार होगा, भाग लेने के लिए **नामित** करेगा तथा जिला लेखा पदाधिकारी वित्त विभाग का प्रतिनिधित्व करेगा।

(v) **वित्तीय उन्नयन के फलस्वरूप वेतन के निर्धारण का सत्यापन होने के उपरांत ही वित्तीय उन्नयन का लाभ देय होगा।**

(vi) स्क्रीनिंग समिति की अनुशंसा के बाद आदेश/अधिसूचना निर्गत करने के पूर्व **विभागीय आन्तरिक वित्तीय सलाहकार** की सहमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(83)

(vii) सचिवालय एवं संलग्न कार्यालय तथा राज्यस्तरीय संवर्ग के अराजपत्रित कर्मियों के **वेतन निर्धारण** का सत्यापन वित्त विभाग तथा क्षेत्रीय/मुफ्फसिल कार्यालयों के अराजपत्रित कर्मियों के वेतन निर्धारण का सत्यापन संबंधित जिला लेखा कार्यालय द्वारा किया जायेगा।

(viii) वित्त विभागीय संकल्प संख्या 2981/वि०, दिनांक 01.09.2009 की कंडिका–6 **विलोपित** की जाती है।

(ix) स्क्रीनिंग समिति किसी निर्णय के पूर्व वित्त विभागीय परिपत्रों तथा उसके साथ संलग्न अनुलग्नक जो विभिन्न Situation पर illustration है, उसका अध्ययन अवश्य कर लेना चाहेंगे, ताकि निर्णय त्रुटि रहित रहे।

(x) **विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने की तिथि** ACP/MACP निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण है। प्रायः इस पर बिना विचार किये निर्णय लेने से कई गलतियाँ प्रकाश में आई है तथा न्यायालय तक मामला गया है। इसकी पुनरावृत्ति न हो, अतः निम्न उदाहरण से इसे स्पष्ट किया जाता है :–

सरकारी सेवक की जन्म तिथि– 26.06.1955

सरकारी पद पर नियुक्ति की तिथि – 01.08.1980

(क) सभी अहर्त्ता (नियुक्ति की सम्पुष्टि एवं नियमित सेवा) एवं प्रोन्नति के मानक पूर्ण होने पर 1st ACP, 2nd ACP एवं 3rd M ACP की अनुमान्य तिथि	1st ACP – दिनांक 09.08.1999 2nd ACP- दिनांक 01.08.2004 3rd M ACP - दिनांक 01.08.2010
(ख) विभागीय परीक्षा दिनांक 09.08.1999 के पूर्व उत्तीर्ण हो जाने पर ACP/ M ACP की अनुमान्यता	कंडिका–'क' के अनुरूप
(ग) विभागीय परीक्षा अगर विलम्ब से उत्तीर्ण होते हैं तो वैसी स्थिति में ACP/MACP की परिवर्तित अनुमान्यता	विभागीय परीक्षा अंतिम रूप से उत्तीर्ण होने की तिथि– 09.08.2002 (i) 1st ACP – दिनांक 09.08.2002 (ii) 2nd ACP = अनुमान्य तिथि + 1st ACP की स्वीकृति की विलम्बित अवधि = 01.08.2004 + 03 वर्ष = 01.08.2007 (iii) 3rd M ACP = अनुमान्य तिथि + 1st ACP की स्वीकृति की विलम्बित अवधि = 01.08.2010 + 03 वर्ष = 01.08.2013
(घ) 50 वर्ष उम्र पूर्ण होने के फलस्वरूप विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता से विमुक्ति की स्थिति में ACP/MACP की अनुमान्यता	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के पत्र संख्या 4674 दिनांक 15.05.1992 के आलोक में आदेश निर्गत तिथि से विभागीय परीक्षा में विमुक्ति का आदेश प्रभावी है। विमुक्ति के फलस्वरूप ACP/MACP में विलम्ब अवधि की गणना कंडिका–'ग' के अनुरूप की जायेगी।

(82)

(ड.) क्या जिसे प्रथम ACP मिला है उसे पुनः प्रथम MACP देय है या नहीं।	दिनांक 09.08.1999 से 31.08.2008 तक ACP योजना के तहत वित्तीय उन्नयन अनुमान्य है तथा दिनांक 01.09.2008 के बाद MACP योजना प्रभावी है। दिनांक 31.08.2008 के पूर्व ACP योजना के तहत स्वीकृत प्रथम ACP के उपरांत पुनः प्रथम MACP स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

(ix) **स्क्रीनिंग समिति एक चार्ट बनाकर** इसकी सत्यता से संतुष्ट होकर निर्णय लेगी, जिसमें निम्न कॉलम को अवश्य शामिल किया जाय।

क्र०	GPF /PRAN No.	कर्मी का नाम	पदनाम	सेवा में नियुक्ति की तिथि	सेवा सम्पुष्टि की तिथि आदेश सं० एवं दिनांक सहित	सेवा अवधि	अंतिम रूप से विभागीय परीक्षा की स्थिति तिथि सहित	1st & 2nd ACP की स्थिति (तिथि एवं वेतनमान सहित)	1st, 2nd 3rd MACP की स्थिति (तिथि एवं ग्रेड पे सहित)	प्रस्तावित ACP/ MACP	अनुशंसित ACP/ MACP तिथि सहित	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

(x) ACP/MACP के प्रस्ताव अलग–अलग तैयार किये जायेंगे।

(xi) प्रत्येक श्रेणी/ग्रेड पे की सूची अलग–अलग तैयार की जायेगी।

(xii) स्क्रीनिंग समिति की कार्यवाही/चार्ट पर बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। वित्त विभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(xiii) स्क्रीनिंग समिति की कार्यवाही विधिवत् ज्ञापांक/दिनांक से निर्गत की जायेगी एवं विभागीय Website पर संधारित की जायेगी।

(xiv) यह तात्कालिक प्रभाव से लागू रहेगा।

6.(i) वित्त विभाग NIC के सहयोग से ACP/MACP हेतु **एक Software विकसित करेगा** ताकि मामलो के त्वरित निष्पादन हो सके। इसके इन्तजार में मामलों को लम्बित नहीं रखा जा सकता है।

(ii) वित्त विभाग द्वारा ACP/MACP मामलों/वेतन निर्धारण इत्यादि के लिए संबंधित **पदाधिकारी का प्रशिक्षण** SKIPA में Experts के साथ प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जायेगा।

7. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 685/वि० दिनांक 25.02.2014 के क्रम में दिनांक 08.05.2014 की बैठक के मद सं० 02 में दी गई है।

<u>आदेश</u> :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखंड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखंड, राँची को प्रेषित किया जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

19/05/14

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

(81)

ज्ञापांक : 6/एस–06(प्रो०)–03/2009-1779/वि० राँची, दिनांक 21.05.14

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले॰ एवं हक॰), झारखंड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : 6/एस–06(प्रो०)–03/2009-1779/वि० राँची, दिनांक 21.05.14

प्रतिलिपि : माननीय राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय/ महानिबंधक, झारखंड उच्च न्यायालय, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड के सचिव/ सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप–कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखंड/ पी०एम०यू० कोषांग के श्री सरोज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, को विभागीय Website पर upload करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

ज्ञापांक : 6/एस–06(प्रो०)–03/2009-1779/वि० राँची, दिनांक 21.05.14

प्रतिलिपि : सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र असाधारण अंक में करके राजपत्र की 100 प्रतियां वित्त प्रशाखा–14 को उपलब्ध करावें।

अमरेन्द्र प्रताप सिंह)
सरकार के सचिव,
वित्त विभाग, झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार
वित्त विभाग

-::-

ज्ञापांक सं0:- वि०ज०सू०को० 112/13 -1853/वि० राँची, दिनांकः- 27.5.14

प्रतिलिपिः- डॉ० ज्योति झा, सहायक निदेशक, भविष्य निधि निदेशालय सह ई-गवर्नेस नोडल पदाधिकारी (प्रभारी पी०एम०यू० कोषांग), वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

(सुरेन्द्र मोहन दास)
सरकार के अवर सचिव सह जन सूचना पदाधिकारी,
वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची ।